

उपभोक्ताओं के लिए अनुदेश

1. राशन कार्ड का हस्तान्तरण दण्डनीय अपराध है।
2. राशन कार्ड में गलत यूनिट दर्ज करना/करवाना दण्डनीय अपराध है।
3. राशन कार्ड में यूनिट कम होने सम्बन्धी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को पन्द्रह दिन में देना आवश्यक है।
4. यदि राशन कार्ड धारक अन्यत्र बस जावे तो उसे अपना राशनकार्ड पन्द्रह दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी।
5. राशन कार्ड खो जाने की तुरन्त सूचना देना आवश्यक है। अतः राशन कार्ड धारक को उसे दिये गये राशन कार्ड के नम्बर, सदस्यों की संख्या आदि विवरण अलग से नोट कर रखना आवश्यक है, जिससे राशन कार्ड खो जाने की स्थिति में वह राशन कार्ड के पूर्ण विवरण से प्राधिकृत अधिकारी को सूचित कर सकें।
6. राशन कार्ड सम्बन्धी कोई भी समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क किया जावे।
7. अपना राशन कार्ड उचित मूल्य दुकान पर न छोड़ें।
8. राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्डधारी इसकी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है।
9. राशन कार्ड का उपयोग आवश्यक नियंत्रित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए वैध है। अन्य किसी कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जावे। राशन कार्ड का पहचान पत्र के रूप में उपयोग वर्जित है।
10. गलत राशन कार्ड बनवाये जाने/यूनिट बढ़वाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अधिकतम 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है।
11. उपभोक्ता द्वारा ए.बी.सी./डी.बी.सी. के तथ्य को छुपाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।



राजस्थान सरकार



स्टेट बीपीएल योजना
परिवार राशन कार्ड

उपभोक्ताओं के लिए अनुदेश

1. राशन कार्ड का हस्तान्तरण दण्डनीय अपराध है।
2. राशन कार्ड में गलत यूनिट दर्ज करना/करवाना दण्डनीय अपराध है।
3. राशन कार्ड में यूनिट कम होने सम्बन्धी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को पन्द्रह दिन में देना आवश्यक है।
4. यदि राशन कार्ड धारक अन्यत्र बस जावे तो उसे अपना राशनकार्ड पन्द्रह दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी।
5. राशन कार्ड खो जाने की तुरन्त सूचना देना आवश्यक है। अतः राशन कार्ड धारक को उसे दिये गये राशन कार्ड के नम्बर, सदस्यों की संख्या आदि विवरण अलग से नोट कर रखना आवश्यक है, जिससे राशन कार्ड खो जाने की स्थिति में वह राशन कार्ड के पूर्ण विवरण से प्राधिकृत अधिकारी को सूचित कर सकें।
6. राशन कार्ड सम्बन्धी कोई भी समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क किया जावे।
7. अपना राशन कार्ड उचित मूल्य दुकान पर न छोड़ें।
8. राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्डधारी इसकी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है।
9. राशन कार्ड का उपयोग आवश्यक नियंत्रित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए वैध है। अन्य किसी कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जावे। राशन कार्ड का पहचान पत्र के रूप में उपयोग वर्जित है।
10. गलत राशन कार्ड बनवाये जाने/यूनिट बढ़वाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अधिकतम 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है।
11. उपभोक्ता द्वारा ए.बी.सी./डी.बी.सी. के तथ्य को छुपाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।



राजस्थान सरकार



स्टेट बीपीएल योजना
परिवार राशन कार्ड

उपभोक्ताओं के लिए अनुदेश

1. राशन कार्ड का हस्तान्तरण दण्डनीय अपराध है।
2. राशन कार्ड में गलत यूनिट दर्ज करना/करवाना दण्डनीय अपराध है।
3. राशन कार्ड में यूनिट कम होने सम्बन्धी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को पन्द्रह दिन में देना आवश्यक है।
4. यदि राशन कार्ड धारक अन्यत्र बस जावे तो उसे अपना राशनकार्ड पन्द्रह दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी।
5. राशन कार्ड खो जाने की तुरन्त सूचना देना आवश्यक है। अतः राशन कार्ड धारक को उसे दिये गये राशन कार्ड के नम्बर, सदस्यों की संख्या आदि विवरण अलग से नोट कर रखना आवश्यक है, जिससे राशन कार्ड खो जाने की स्थिति में वह राशन कार्ड के पूर्ण विवरण से प्राधिकृत अधिकारी को सूचित कर सकें।
6. राशन कार्ड सम्बन्धी कोई भी समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क किया जावे।
7. अपना राशन कार्ड उचित मूल्य दुकान पर न छोड़ें।
8. राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्डधारी इसकी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है।
9. राशन कार्ड का उपयोग आवश्यक नियंत्रित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए वैध है। अन्य किसी कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जावे। राशन कार्ड का पहचान पत्र के रूप में उपयोग वर्जित है।
10. गलत राशन कार्ड बनवाये जाने/यूनिट बढ़वाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अधिकतम 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है।
11. उपभोक्ता द्वारा ए.बी.सी./डी.बी.सी. के तथ्य को छुपाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।



राजस्थान सरकार



ए.पी.एल. योजना
परिवार राशन कार्ड

उपभोक्ताओं के लिए अनुदेश

1. राशन कार्ड का हस्तान्तरण दण्डनीय अपराध है।
2. राशन कार्ड में गलत यूनिट दर्ज करना/करवाना दण्डनीय अपराध है।
3. राशन कार्ड में यूनिट कम होने सम्बन्धी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को पन्द्रह दिन में देना आवश्यक है।
4. यदि राशन कार्ड धारक अन्यत्र बस जावे तो उसे अपना राशनकार्ड पन्द्रह दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी।
5. राशन कार्ड खो जाने की तुरन्त सूचना देना आवश्यक है। अतः राशन कार्ड धारक को उसे दिये गये राशन कार्ड के नम्बर, सदस्यों की संख्या आदि विवरण अलग से नोट कर रखना आवश्यक है, जिससे राशन कार्ड खो जाने की स्थिति में वह राशन कार्ड के पूर्ण विवरण से प्राधिकृत अधिकारी को सूचित कर सकें।
6. राशन कार्ड सम्बन्धी कोई भी समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क किया जावे।
7. अपना राशन कार्ड उचित मूल्य दुकान पर न छोड़ें।
8. राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्डधारी इसकी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है।
9. राशन कार्ड का उपयोग आवश्यक नियंत्रित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए वैध है। अन्य किसी कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जावे। राशन कार्ड का पहचान पत्र के रूप में उपयोग वर्जित है।
10. गलत राशन कार्ड बनवाये जाने/यूनिट बढ़वाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अधिकतम 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है।
11. उपभोक्ता द्वारा ए.बी.सी./डी.बी.सी. के तथ्य को छुपाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।



राजस्थान सरकार



ए.पी.एल. योजना
परिवार राशन कार्ड

उपभोक्ताओं के लिए अनुदेश

1. राशन कार्ड का हस्तान्तरण दण्डनीय अपराध है।
2. राशन कार्ड में गलत यूनिट दर्ज करना/करवाना दण्डनीय अपराध है।
3. राशन कार्ड में यूनिट कम होने सम्बन्धी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को पन्द्रह दिन में देना आवश्यक है।
4. यदि राशन कार्ड धारक अन्यत्र बस जावे तो उसे अपना राशनकार्ड पन्द्रह दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी।
5. राशन कार्ड खो जाने की तुरन्त सूचना देना आवश्यक है। अतः राशन कार्ड धारक को उसे दिये गये राशन कार्ड के नम्बर, सदस्यों की संख्या आदि विवरण अलग से नोट कर रखना आवश्यक है, जिससे राशन कार्ड खो जाने की स्थिति में वह राशन कार्ड के पूर्ण विवरण से प्राधिकृत अधिकारी को सूचित कर सकें।
6. राशन कार्ड सम्बन्धी कोई भी समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क किया जावे।
7. अपना राशन कार्ड उचित मूल्य दुकान पर न छोड़ें।
8. राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्डधारी इसकी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है।
9. राशन कार्ड का उपयोग आवश्यक नियंत्रित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए वैध है। अन्य किसी कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जावे। राशन कार्ड का पहचान पत्र के रूप में उपयोग वर्जित है।
10. गलत राशन कार्ड बनवाये जाने/यूनिट बढ़वाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अधिकतम 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है।
11. उपभोक्ता द्वारा ए.बी.सी./डी.बी.सी. के तथ्य को छुपाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।



राजस्थान सरकार



अन्त्योदय अन्न योजना
परिवार राशन कार्ड

उपभोक्ताओं के लिए अनुदेश

1. राशन कार्ड का हस्तान्तरण दण्डनीय अपराध है।
2. राशन कार्ड में गलत यूनिट दर्ज करना/करवाना दण्डनीय अपराध है।
3. राशन कार्ड में यूनिट कम होने सम्बन्धी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को पन्द्रह दिन में देना आवश्यक है।
4. यदि राशन कार्ड धारक अन्यत्र बस जावे तो उसे अपना राशनकार्ड पन्द्रह दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी।
5. राशन कार्ड खो जाने की तुरन्त सूचना देना आवश्यक है। अतः राशन कार्ड धारक को उसे दिये गये राशन कार्ड के नम्बर, सदस्यों की संख्या आदि विवरण अलग से नोट कर रखना आवश्यक है, जिससे राशन कार्ड खो जाने की स्थिति में वह राशन कार्ड के पूर्ण विवरण से प्राधिकृत अधिकारी को सूचित कर सकें।
6. राशन कार्ड सम्बन्धी कोई भी समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क किया जावे।
7. अपना राशन कार्ड उचित मूल्य दुकान पर न छोड़ें।
8. राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्डधारी इसकी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है।
9. राशन कार्ड का उपयोग आवश्यक नियंत्रित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए वैध है। अन्य किसी कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जावे। राशन कार्ड का पहचान पत्र के रूप में उपयोग वर्जित है।
10. गलत राशन कार्ड बनवाये जाने/यूनिट बढ़वाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अधिकतम 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है।
11. उपभोक्ता द्वारा ए.बी.सी./डी.बी.सी. के तथ्य को छुपाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।



राजस्थान सरकार



अन्त्योदय अन्न योजना
परिवार राशन कार्ड

उपभोक्ताओं के लिए अनुदेश

1. राशन कार्ड का हस्तान्तरण दण्डनीय अपराध है।
2. राशन कार्ड में गलत यूनिट दर्ज करना/करवाना दण्डनीय अपराध है।
3. राशन कार्ड में यूनिट कम होने सम्बन्धी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को पन्द्रह दिन में देना आवश्यक है।
4. यदि राशन कार्ड धारक अन्यत्र बस जावे तो उसे अपना राशनकार्ड पन्द्रह दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी।
5. राशन कार्ड खो जाने की तुरन्त सूचना देना आवश्यक है। अतः राशन कार्ड धारक को उसे दिये गये राशन कार्ड के नम्बर, सदस्यों की संख्या आदि विवरण अलग से नोट कर रखना आवश्यक है, जिससे राशन कार्ड खो जाने की स्थिति में वह राशन कार्ड के पूर्ण विवरण से प्राधिकृत अधिकारी को सूचित कर सकें।
6. राशन कार्ड सम्बन्धी कोई भी समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क किया जावे।
7. अपना राशन कार्ड उचित मूल्य दुकान पर न छोड़ें।
8. राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्डधारी इसकी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है।
9. राशन कार्ड का उपयोग आवश्यक नियंत्रित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए वैध है। अन्य किसी कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जावे। राशन कार्ड का पहचान पत्र के रूप में उपयोग वर्जित है।
10. गलत राशन कार्ड बनवाये जाने/यूनिट बढ़वाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अधिकतम 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है।
11. उपभोक्ता द्वारा ए.बी.सी./डी.बी.सी. के तथ्य को छुपाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।



राजस्थान सरकार



बी.पी.एल. योजना
परिवार राशन कार्ड

उपभोक्ताओं के लिए अनुदेश

1. राशन कार्ड का हस्तान्तरण दण्डनीय अपराध है।
2. राशन कार्ड में गलत यूनिट दर्ज करना/करवाना दण्डनीय अपराध है।
3. राशन कार्ड में यूनिट कम होने सम्बन्धी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को पन्द्रह दिन में देना आवश्यक है।
4. यदि राशन कार्ड धारक अन्यत्र बस जावे तो उसे अपना राशनकार्ड पन्द्रह दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी।
5. राशन कार्ड खो जाने की तुरन्त सूचना देना आवश्यक है। अतः राशन कार्ड धारक को उसे दिये गये राशन कार्ड के नम्बर, सदस्यों की संख्या आदि विवरण अलग से नोट कर रखना आवश्यक है, जिससे राशन कार्ड खो जाने की स्थिति में वह राशन कार्ड के पूर्ण विवरण से प्राधिकृत अधिकारी को सूचित कर सकें।
6. राशन कार्ड सम्बन्धी कोई भी समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क किया जावे।
7. अपना राशन कार्ड उचित मूल्य दुकान पर न छोड़ें।
8. राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्डधारी इसकी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है।
9. राशन कार्ड का उपयोग आवश्यक नियंत्रित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए वैध है। अन्य किसी कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जावे। राशन कार्ड का पहचान पत्र के रूप में उपयोग वर्जित है।
10. गलत राशन कार्ड बनवाये जाने/यूनिट बढ़वाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अधिकतम 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है।
11. उपभोक्ता द्वारा ए.बी.सी./डी.बी.सी. के तथ्य को छुपाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।



राजस्थान सरकार



बी.पी.एल. योजना
परिवार राशन कार्ड